न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
<u>लखनऊ।</u>

सेशन ट्रायल नं0– 1065 / 2019
आर.सी.–4(एस) / 2019 / सीबीआई / एससीबी / लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810 / 2018

दिनांक–13.03.2023

अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–41 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–41 अभियुक्त पवन कुमार सिंह की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल द्वारा तथाकथित घटना दिनांक 26.12.2018 की दर्शाते हुए तहरीर पुलिस अधीक्षक लखनऊ को सम्बोधित करते हुए दिया जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 23.07 बजे मु0अ0सं0–810 / 18 धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 120बी. भा0द0सं0 में थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया कि तथाकथित घटना के दो दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना एवं तहरीर के अवलोकन से स्वयं घटना सन्देहास्पद प्रतीत हो रही है। दी गई तहरीर में आवेदक अभियुक्त की किसी भी प्रकार की कोई अपराध में संलिप्तता एवं भूमिका नहीं दर्शाई गई है। वादी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में भी आवेदक अभियुक्त की अपराध में भूमिका अथवा अपराध में संलिप्तता का उल्लेख नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को वादी मुकदमा ने अपनी फर्म एम0जे0 इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0 लि0 में एकाउन्टेट के कार्य हेतु रखा था तभी से वह अपना कार्य करता रहा है। इस मुकदमें की प्रारम्भिक विवेचना थाना कृष्णानगर की पुलिस द्वारा करने के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें आवेदक अभियुक्त का नाम नहीं था और न ही आवेदक अभियुक्त की किसी प्रकार की संलिप्तता अथवा संदिग्ध भूमिका नहीं दर्शाई है। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.4.2019 के अनुपालन में सी0बी0आई0 द्वारा अग्रिम विवेचना प्रारम्भ की गई थी। प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा अपने निवास अथवा कार्यालय का सी0सी0टी0वी0 फुटेज का रिकार्ड साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जिला कारागार देवरिया का ही सी0सी0टी0वी0 फुटेज का रिकार्ड साक्ष्य में संकलित किया गया है। टोल प्लाजा की फुटेज तथाकथित घटना को स्वतः संदिग्ध दर्शा रही है। सी0बी0आई0 के विवेचक द्वारा दिनांक 14.06.2019 को तथाकथित घटना के करीब 6 माह बाद तथा दिनांक 26.09.2019 को तथाकथित घटना के करीब 9 माह बाद वादी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 दर्ज किया गया जिसमें विरोधाभाष है। यह भी उल्लेखित करना है कि सी0बी0आई0 विवेचक को वादी मुकदमा द्वारा दिये गये बयान दिनांकित 14.06.2019 में मे0 एम0जे0 इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0 लि0 के नाम से फर्म 14 नवम्बर 2014 को बनाई जिसमें राकेश मिश्रा व अर्पित पाण्डेय वादी मुकदमा के साथ फर्म के डायरेक्टर थे। उक्त पार्टनर को हटाना व वादी मुकदमा की बहन आरती जायसवाल का डायरेक्टर बनना उक्त सम्पूर्ण घटना को वादी मुकदमा द्वारा छिपाया गया है। यदि फर्म के दस्तावेजों की गहनता से जांच होती तो वादी मुकदमा की बदनियती व बेईमानीपूर्वक डायरेक्टर हटाना व नया डायरेक्टर बनाना, वादी मुकदमा द्वारा समय समय पर उक्त कार्य मोटी रकम प्राप्त कर किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे उसकी जिला कारागार देवरिया में उपस्थिति साबित होती हो। पुलिस अभिरक्षा के

दौरान लिये गये संस्वीकृति कथन अथवा पॉलीग्राफ टेस्ट के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन के पास नहीं है। प्रार्थी की टॉवर लोकेशन देवरिया में होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह जिला कारागार देवरिया में रहा। आवेदक अभियुक्त को जब जब वादी मुकदमा द्वारा अथवा अन्य डायरेक्टर द्वारा फर्म के हिसाब किताब देने के लिए तथाकथित घटना से पहले जब जब भेजा गया तो वह ही गया। यह भी उल्लेखनीय है कि दौराने विवेचना विवेचक व उनकी टीम द्वारा आवेदक अभियुक्त को तरह तरह से प्रताड़ित भी किया गया है जबकि उसके पास से कोई वैध अथवा अवैध बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त के खाते में जो 6 लाख रूपये मेसर्स एम0जे0 इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0 लि0 फर्म से आये उसमें से 2 लाख रूपये कम्पनी के डायरेक्टर फारूख को स्थानान्तरित किया गया है तथा उसके व अन्य कर्मचारियों के वेतन व ऑफिस का किराया आदि का भुगतान किया गया। इन कथनों की पुष्टि उक्त फर्म के बैंक स्टेटमेंट से साबित होता है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी।

यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त आवेदक पवन कुमार सिंह और सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार एक दूसरे को वर्ष 2014 से जानते थे। दिनांक 26.12.18 को अभियुक्त पवन कुमार सिंह देवरिया जेल में अन्य अभियुक्तगण के साथ उपस्थित था। उस दिन आवेदक और सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह एक दूसरे के लगातार सम्पर्क में थे। सीडीआर के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.12.18 को आवेदक पवन कुमार सिंह ने सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह के साथ कम से कम 19 बार बात की थी। आवेदक अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा वादी मुकदमा मोहित जायसवाल को मार पीट कर जबरन हस्ताक्षर लिये जाने के पश्चात उसका त्याग पत्र तथा अन्य दस्तावेज सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार के मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से भेजा गया जिसको सह अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से आरओसी के साइट पर अपलोड किया गया था। उन दोनों के मोबाइल फोन को जांच हेतु एफएसएल गांधीनगर भेजा गया था। जिसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता की कम्पनियों से त्यागपत्र के सम्बन्ध में आवेदक अभियुक्त के मोबाइल फोन में कई चैट, पीडीएफ फाइल व इमेज फाइल प्राप्त हुई थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता व आरती जायसवाल के त्यागपत्र अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा आवेदक के मोबाइल पर भेजे गये थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह सप्लीमेंटल एग्रीमेंट 5.11.2018 को निष्पादित होना दिखाया गया है और जिन नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पर इसे निष्पादित होना दिखाया गया है, उक्त स्टैम्प पेपर दिनांक 22.11.18 को ही विक्रीत हुए थे। इन तथ्यों की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेखों व सम्बन्धित स्टाम्प वेंडरो के बयानों से होती है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त सप्लीमेंटल एग्रीमेंट दिनांक 5.11.18 को नहीं बनाया गया था और फर्जी है। अभियुक्त अतीक अहमद के निर्देश पर ही उक्त फर्जी

सप्लीमेंटर एग्रीमेंट के माध्यम से शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल की उक्त फर्म से उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया और मो0 फारूख व जकी अहमद को निदेशक बना दिया गया और इस तथ्य को छिपाने के लिए पहले वादी की कम्पनी एम.जे. इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0 लि0 से आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार सिंह, सह अभियुक्त योगेश कुमार तथा कम्पनी के कर्मचारी सद्वराम सृजन बाजपेयी के खातो के माध्यम से सह अभियुक्त मो0 फारूख के खाते में धनराशि का अन्तरण हुआ है। उसके उपरांत सह अभियुक्त मो0 फारूख के खाते से रू0 6,87,500/– मोहित जायसवाल के खाते में और रू0 6,00,000/–आरती जायसवाल के खाते में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिनांक 29.12.2018 को अन्तरित किये गये है। आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा मामला सत्य पाते हुए पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व पाया गया है और विवेचनोपरांत आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थना पत्र तथाकथित घटना के दो दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गई है। तहरीर में आवेदक अभियुक्त की किसी भी प्रकार की कोई अपराध में संलिप्तता एवं भूमिका नहीं दर्शाया गया है। वादी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में भी आवेदक अभियुक्त की अपराध में भूमिका अथवा अपराध में संलिप्तता का उल्लेख नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को वादी मुकदमा ने अपनी फर्म एम0जे0 इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0 लि0 में एकाउन्टेट के पद पर कार्यरत रहा है। थाना कृष्णानगर की पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण करके जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें आवेदक अभियुक्त का नाम नहीं था और न ही आवेदक अभियुक्त की किसी प्रकार की संलिप्तता अथवा संदिग्ध भूमिका नहीं दर्शाई है। सी0बी0आई0 द्वारा उसके विरूद्व सी0सी0टी0वी0 फुटेज का कोई भी रिकार्ड साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके पास से कोई वैध अथवा अवैध बरामदगी नहीं हुई है।

सी0बी0आई0 द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त आवेदक पवन कुमार सिंह और सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार एक दूसरे को वर्ष 2014 से जानते थे और घटना के दिनांक 26.12.18 को आवेदक/अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ देवरिया जेल में उपस्थित था। वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने में तथा उससे जबरन लिये गये त्याग पत्र पर हस्ताक्षर लिये जाने के पश्चात उक्त त्याग पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार के मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से भेजने में सक्रिय भूमिका निभाई है जिसे सह अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से आरओसी के साइट पर अपलोड भी किया गया था। सी0बी0आई0 द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। अतः आवेदक अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त तथ्यों के आधार पर धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467,467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित

किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि "It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था **प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B.** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

इस प्रकरण में आवेदक अभियुक्त पर मुख्य रूप से आरोप यह है कि अभियुक्त आवेदक पवन कुमार सिंह घटना के दिनांक 26.12.18 को आवेदक/अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ देवरिया जेल में उपस्थित था। वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने में तथा उससे जबरन लिये गये त्याग पत्र पर हस्ताक्षर लिये जाने के पश्चात उक्त त्याग पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार के मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से भेजने में सक्रिय भूमिका निभाई है जिसे सह अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से आरओसी के साइट पर अपलोड भी किया गया था। यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार एक दूसरे को वर्ष 2014 से जानते भी थे। सी0बी0आई0 द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए समुचित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो

कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी– 41 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:47:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court